

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद पत्र संख्या 247 / 2016  
प्रसादीलाल पुत्र भवानीलाल लोढ़वाल जाति बैरवा निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर  
—वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र छीतर जाति धोबी
  2. रागप्रसाद पुत्र रोडू जाति जाट
  3. रसाल देवी पत्नि मदनलाल जाति रेगर
  4. सुवा पुत्र धन्ना जाति बलाई
  5. शान्ति देवी पत्नि हमीरा जाति साँसी
  6. करतार सिंह पुत्र हमीरा जाति साँसी
  7. करतार सिंह पुत्र हमीरा जाति साँसी
  8. शंकरसिंह पुत्र हमीरा जाति साँसी
  9. रनेहलता पुत्री हमीरा जाति साँसी
  10. अनिता पुत्री हमीरा जाति साँसी
  11. संगीता पुत्री हमीरा जाति साँसी
  12. विजयशक्ति पुत्री हमीरा जाति साँसी
  13. पिस्ता देवी पत्नि विजयकुमार जाति साँसी
  14. रजनीश उर्फ बंटी पुत्र विजयकुमार जाति साँसी
  15. धीरज कुमार पुत्र विजयकुमार जाति साँसी
  16. विजयलता पुत्री विजयकुमार जाति साँसी
  17. मीनूलता पुत्री विजयकुमार जाति साँसी
  18. रेनुलता पुत्री विजयकुमार जाति साँसी
  19. दिलीप पुत्र करीमा जाति साँसी
  20. जसवंतसिंह पुत्र महेन्द्र जाति साँसी
  21. राजकुमार पुत्र महेन्द्र जाति साँसी
  22. करतार सिंह पुत्र महेन्द्र जाति साँसी
  23. उषा पुत्री सूरजमल जाति साँसी
  24. पुष्पा पुत्री सूरजमल जाति साँसी
- तमाम निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर  
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर —प्रतिवादीगण



वादपत्र अंतर्गत धारा 53 राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थित:- श्री नवल किशोर पारीक वकील- वादी  
श्री चेतन धाबाई- प्रतिवादीगण  
निर्णय

दिनांक २१-८-२०

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र बाबत बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया। पक्षकारान् को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 20.06.2016 को निर्णय प्रारम्भिक डिकरी पारित किया। ग्राम सावर की राजस्व जमाबंदी संवत् 2069-72 की निम्नवर्णित आराजीयात का बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार सावर से मंगवाया गया :-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1360-1239	1959	0.63	बा.2
	1960	0.50	बा.2
	कुल किता 2	1.13	

उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी (अजमेर)

तहसीलदार सावर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/641 दिनांक 20.07.2020 द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में भिजवाया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। पक्षकारान् के लायक अभिभाषक को बंटवारा प्रस्ताव पर सुना गया। वकील पक्षकारान् को बंटवारा प्रस्ताव जो तहसीलदार सावर द्वारा भिजवाया गया है, उसी अनुसार बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किये जाने की सहमति प्रदान की है अतः पक्षकारान् में बंटवारा निम्नप्रकार किया जाता है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम व खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1.	ग्राम सावर के खाता नया-पुराना 1360-1239	प्रभादीलाल लोढ़वाल पुत्र भवानीलाल कौम बैरवा सा0देह खातेदार	1959/1 1960/1	0.24 0.04	बा.2 बा.2	1.12
			किता 2	0.28		1.12
2.	ग्राम सावर के खाता नया-पुराना 1360-1239	उषा,पुष्पा पुत्रियां सूरजमल जातिसांसीहि.8/105, शान्तिपत्नि हमीरा,कन्हैया, करतारसिंह, शंकरसिंह पि. हमीरा जाति सांसी हि. 32/135 पिस्तादेवीपत्नि विजयकुमार, धीरजकुमार, रजनीशउर्फ बंटी पिसरान विजयकुमार, मीनूलता,रेनुलता, विजयलता पुत्रियों विजयकुमार सांसी हि. 24/810 करतारपुत्र महेन्द्रसिंह सांसी हि.4/300, दिलीप पुत्र करीमासांसीहि. 4/15, ऋषिकेशपुत्र मनोहरी लाल बैरवा हि.4/150,निवासी 113भोताईतहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर, मोंगीलाल पुत्र छीतर जाति धोबी हि.4/30 रसाल पत्नि मदनलाल जाति रेगर हि.4/60 रामप्रसाद पुत्र रोडू जाति नट हि0/460, विमला पत्नि जीवनलाल जाति खटीक 4/150 सुवा पुत्र धन्ना जाति बलाई हि012/210	1959 1960	0.39 0.46	बा.2 बा.2	3.40
			किता 2	0.85		3.40



वादी 100/-रु का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र प्रस्तुत करे तब अंतिम डिकरी उक्तानुसार जारी की जावे। तहसीलदार सावर उक्तानुसार अलग अलग खाते कायम कर राजस्व रेकार्ड व नक्शा देस में अमल दरामद करने की कार्यवाही करे।  
निर्णय सरे इजलास सुनाया ।

(सुरेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
केकड़ी